संख्याः-09/2025/सा0-39/38-9099(99)/35/2022

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ 18 फरवरी, 2025**

विषयः-उ0प्र0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0, लखनऊ को सांसद निधि योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत कार्य आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4889/प्रशा0/2024-25 दिनांक 19.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांसद निधि तथा अन्य योजनाओं के कार्यों का संपादन किये जाने का उल्लेख करते हुये उपायुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.02.2024 में निहित प्रावधानों के कारण उपक्रम को सांसद निधि योजना सहित अन्य योजनाओं के कार्य आवंटित होने में कठिनाई होने की सूचना देते हुये आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जिससे की उ0प्र0 अभियंत्रण एवं श्रम सहकारी संघ लि0, लखनऊ को सांसद निधि योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत कार्य आवंटित हो सकें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से संबंधित शासनादेश संख्या-28/2017/320/अड़तीस-9-17-05(रिट)/2014 दिनांक 04.07.2017 एवं शासन के पत्र संख्या-820(1)/अड़तीस-9-17-19(एल0सी0)/2017 दिनांक 21.09.2017 के प्रावधान स्वतः स्पष्ट है। उक्त शासनदेशों का प्रभाव अन्य किसी योजना पर नहीं है, बल्कि मात्र विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना पर ही है।

भवदीय

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.gov.in